न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 746/2016

1. माडूराम पुत्र सिंगराम
2. पप्पू पुत्र सिंगराम
3. लीलाराम पुत्र सिंगराम
4. सुन्दरी बेवा सिंगराम

समस्त जाति जाट, निवासीः जयसिंहपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री शिवजी महाराज जयसिंहपुरा जरिये पुजारी भगवाना पुत्र धूडा, जाति योगी, निवासीः जयसिंहपुरा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. झूथी देवी बेवा ख्यालीराम
3. मानसिंह पुत्र ख्यालीराम
4. फूलसिंह पुत्र ख्यालीराम
5. सांवतराम पुत्र ख्यालीराम
6. माडूराम पुत्र ख्यालीराम
7. कमली पुत्री ख्यालीराम
8. मूर्ती पुत्री ख्यालीराम
9. लाली पुत्री ख्यालीराम
10. छोटी बेवा दाताराम
11. रोशन पुत्र दाताराम
12. जयसिंह पुत्र दाताराम
13. रोहिताश पुत्र दाताराम
14. पप्पू पुत्र दाताराम
15. कमलेश पुत्र दाताराम
16. छोटू पुत्र चुन्ना
17. घीसा पुत्र अमरा
18. रामसिंह पुत्र लटूर
19. रणसिंह पुत्र लटूर
20. हवासिंह पुत्र लटूर
21. सुरजी बेवा लटूर
22. ब्रहमा पुत्री लटूर
23. उर्मिला पुत्री लटूर
24. संतोष पुत्री लादू
25. सुल्तानपुर हरलाल

समस्त जाति जाट, निवासीः जयसिंहपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
27. उप पंजीयक कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला जयपुर वाद संख्या 84/2012 उनवानी माडूराम व अन्य बनाम मूर्ति मंदिर व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री एन.के.यादव एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स

निर्णय दिनांकः 30.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट्स की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला जयपुर के वाद संख्या 84/2012 बउनवानी माडूराम व अन्य बनाम मूर्ति मंदिर व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 08.07.2016 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 467 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा वाके मौजा जयसिंहपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त आराजी के पूर्व में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता व 4 के ससुर श्योलाल पुत्र रत्ता जाट बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके फुट स्टेप पर उनके वारिस वादीगण बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज हुये। उपरोक्त साबिक आराजी खसरा नंबर 467 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 688/1.44 वाके मौजा जयसिंहपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर बने है उपरोक्त हाल आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियो ने गलती से साबिक खसरा नंबर 467 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा यानि 1.64 हैक्टेयर का हाल खसरा नंबर 688 वाके मौजा जयसिंहपुरा बनाते समय रकबा 1.64 की जगह 1.44 कर दिया जबकि मौके पर आज भी वादीगण 1.64 हैक्टेयर रकबे पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। राजस्व कर्मचारियो ने गलती से साबिक खसरा नंबर 467 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा यानि 1.64 हैक्टेयर का हाल खसरा नंबर 688 वाके मौजा जयसिंहपुरा बनाते समय रकबा 1.64 की जगह 1.44 कर दिया यानि 0.20 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की कम कर दी तथा उक्त कम की गयी भूमि का रकबा साबिक खसरा नंबर 490 से बने हाल खसरा नंबर 691/0.30, 692/0.43, 694/0.02, 695/1.14, 696/0.60 कुल रकबा 2.49 हैक्टेयर में 0.10 ऐयर भूमि बढा दी जबकि उपरोक्त हाल खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर 490 का रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा यानि 2.39 हैक्टेयर था। उपरोक्त साबिक खसरा नंबर 490 के हाल खसरा नंबर बनाते समय कुल रकबा 2.39 की जगह 2.49 कर दिया यानि 0.10 ऐयर बढा दिया गया इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 488 से बने हाल खसरा नंबर 686/0.33, 687/0.32, 689/0.32, 690/0.31 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर में 0.09 ऐयर भूमि में बढा दी जबकि उपरोक्त हाल खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर 488 का रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा यानि 1.19 हैक्टेयर था उपरोक्त साबिक खसरा नंबर 488 के हाल खसरा नंबर बनाते समय कुल रकबा 1.19 की जगह 1.28 कर दिया यानि 0.09 ऐयर बढा दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी

वादीगण को इस गलती की जानकारी हाल जमाबंदी की नकल लेने से प्राप्त हुई। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण को काफी कहा कि राजस्व न्यायालय में चलकर राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती करालो लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे तथा कुछ समय पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने के लिये मना कर दिया तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने पर आमादा हो गये तथा दीगर व्यक्ति को बेचान करने व रहन करने पर उतारू है इसलिये मान्य न्यायालय में यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर हाल खसरा नंबर 688 का रकबा 1.44 की जगह रकबा 1.64 किया जावे यानि 0.20 रकबा बढाया जाकर वादीगण को हाल आराजी खसरा नंबर 688/1.64 को बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा हाल खसरा नंबर 691/0.30, 692/0.43, 694/0.02, 695/1.14, 696/0.60 कुल रकबा 2.49 हैक्टेयर में 0.10 हैक्टेयर भूमि कम की जाकर 2.39 हैक्टेयर तथा हाल खसरा नंबर 686/0.33, 687/0.32, 689/0.32, 690/0.31 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर में 0.09 ऐयर भूमि कम की जाकर 1.19 हैक्टेयर की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 688/1.64 का बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि हाल खसरा नंबर 691/0.30, 692/0.43, 694/0.02, 695/1.14, 696/0.60, 686/0.33, 687/0.32, 689/0.32, 690/0.31 वाके मौजा जयसिंहपुरा तहसील कोटपूतली को किसी भी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान, हस्तान्तरण ना करे एवं आराजी हाल खसरा नंबर 688 रकबा 1.64 हैक्टेयर में वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व मजाहमत पैदा ना करे, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 08.07.2016 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने जवाबदावा में वादी के कथनों का विनिर्दिष्ट रूप से खंडन नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि वह वादी के कथनों से सहमत थे। अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद को साबित करने के लिये पर्याप्त दस्तावेजात साबिक जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि प्रस्तुत किये थे एवं गवाहो के बयानात भी करवाये थे। बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहान के बयानात का दरकिनार करते हुये अपीलान्ट्स द्वारा अपना पक्ष सिद्ध नहीं करने का कथन करते हुये अपीलान्ट्स का वाद गलत रूप से खारिज किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये।

4. वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में रिकॉर्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2016 को निर्णय पारित कर खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि साबिक खसरा नंबर 467 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 688 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 1.44 हैक्टेयर दर्ज है जबकि 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि को मैट्रिक पद्वति में परिवर्तित करने पर रकबा 1.64 हैक्टेयर बनना पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा को देखने से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के मद संख्या 4 में साबिक खसरा नंबर 488 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा साबिक खसरा नंबर 490 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 691, 692, 694, 695, 696, 686, 687, 689 व 690 होना जाहिर किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद को खारिज करने का जो आधार बताया गया है कि साबिक खसरा नंबरान 488 व 490 से नये खसरा नंबर 691, 692, 694, 695, 696, 686, 687, 689 व 690 बने हो, को वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात का किया गया विवेचन गलत पाया जाता है क्योकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में साबिक खसरा नंबरान 488 व 490 से नये खसरा नंबर 691, 692, 694, 695, 696, 686, 687, 689 व 690 बने होने की पुष्टि की हैं एवं उक्त हाल खसरा नंबरान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के विवेचन में साबिक खसरा नंबर 488 व 490 के रकबे को मैट्रिक पद्वति में परिवर्तित करने पर हाल खसरा नंबर के रकबे में साबिक रकबे से कुल 0.19 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम अधिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित माना है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की तथ्यों की सत्यता को सिद्ध करने के लिये अधिनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से विस्तृत मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर रकबा बरारी कर, पुराने व नये नक्शे का विस्तृत अवलोकन कर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016 खारिज किया जाता हैं एवं पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात बाबत तहसीलदार से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, साबिक व वर्तमान नक्शे में मिलान कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे एवं यदि वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ भी रहते है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के नाम साबिक रकबे के मुकाबले हाल राजस्व रिकॉर्ड में 0.19 हैक्टेयर अधिक भूमि को सिवायचक घोषित कर राज्य सरकार के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.01.2020 को उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर